न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

A5/1

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –98/2021
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/144

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मुन्नीराम पुत्र धोंकलराम जाति बिश्नोई निवासी फतेहसर तहसील व जिला नागौर		1. राजाराम पुत्र धोंकलराम जाति बिश्नोई निवासी फतेहसर तहसील व जिला नागौर 2. तहसीलदार नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री भागीरथ चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की ओर से वकील श्री बाबुलाल भादू व रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 23-11-2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार नागौर द्वारा मुन्नीराम व राजाराम पुत्रगण धोकलराम कौम विश्नोई निवासी चेनारगके भूमि के बंटवाड़ा संबंध में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् बंटवाडा आदेश क्रमांक भू.अ./17/24 दिनांक 11.02.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.09.2021 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना उसकी जानकारी के उसकी पीठ पिछे छल कपट धोखाधड़ी से कथित बंटवाड़ा आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार से करवाया है जबकि सभी खेतो पर दोनो भाईयो का 1/2–1/2 हिस्सा अनुसार कब्जा रहता चला आया है इसके बावजूद कीमती व उपजाउ खसरा नं 721/659 पुरा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गैरकानूनी ढंग से अपने नाम दर्ज करवा लिया है जिसकी जानकारी हाल ही में दिनांक 28.7.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट को धमकी दी कि उक्त खसरा नं. 721/659 को बेचान करूंगा तब अपीलांट ने निवेदन किया कि उक्त खेत तो हमारी सह खातेदारी का है अभी तक कोर्ट से विधिवत बंटवाड़ा भी नहीं हुआ है आप बेचान कैसे कर सकते हो तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कहा कि बंटवाड़ा तो मैने पहले ही सन 2017 में करवा लिया है व पूरा खेत खसरा नं. 721/659 मेरे नाम दर्ज है इसे बेचने से कोई नहीं रोक सकता है जिस पर अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की नकले व कथित बंटवाड़ा आदेश की प्रमाणित प्रतियो का आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 22.9.2021 को प्रमाणित प्रतियां मिलने पर सर्वप्रथम इसकी पूरी जानकारी होने से उक्त आदेश से व्यथित होकर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की है, जिसे मियाद में शुमार की जाना न्याय संगत होने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने न्याय हित में देरी माफ कर तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है।

वकील श्री बाबुलाल भादू ने अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट–1 राजाराम की ओर से बहस में कथन किया कि आवेदन पत्र की मद संख्या एक में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि अपीलाधीन बन्टवाडा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एवं उसकी पीठ के पीछे छल कपट धोखाधडी से उतरदाता ने तहसीलदार से करवाया हो। यह सही है कि बन्टवाडा से पूर्व ही मौके पर बन्ट कर दोनो भाईयो के अलग अलग 1/2 हिस्से के हिसाब से कब्जा रहता चला आया है तथा दोनो भाईयो ने सहमति से बन्टवाडा करवाया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को बन्टवाडा के वक्त ही रही है क्योकि अपीलान्ट पढा लिखा ग्रेज्यूएशन सुदा व्यक्ति है जिसकी पहचान हल्का पटवारी ने रूबरू तहसीलदार की है जिसमें अपीलान्ट की फोटो व आधार कार्ड लगा हुआ है जिसका भी फोटो आधार कार्ड व चुनाव परिचय पत्र इत्यादि लगा हुआ है जिसका वेरीफाई हल्का पटवारी व

कलक्टर नागौर

तहसीलदार जी से किया हुआ है इसलिए अपीलान्ट स्वंय ने उपस्थित होकर के अपने हस्ताक्षर कर फोटो लगाकर एवं उनकी पहचान हल्का पटवारी द्वारा की गई जिसका वेरीफाई तहसीलदार जी द्वारा करवाकर बन्टवाडा किया गया है इसलिए प्रार्थी स्वयं द्वारा बन्टवाडा करवाने से बन्टवाडा की जानकारी दिनांक 2.2.2017 से व दिनांक 11.2.2017 को भली भांति रही है केवल मात्र उतरदाता द्वारा अपने हक की जमीन व बन्टवाडा होने के पश्चात बेचान दिनांक 9.9.2021 को कर देने से उसे नाराज होकर के गलत तथ्य दर्ज कर एवं जानकारी दिनांक 22.9.2021 को प्रमाणित प्रतिये प्राप्त होने का अंकन किया गया है। जिससे अपील मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपील पेश करने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर में मुनीराम बनाम राजाराम वाद अधीन धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 88/2021 दिनांक 20.9.2022 से पूर्व पेश किया इसलिए अपीलान्ट को पूर्व में जानकारी रही है। प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किया है जो वाद की नकल से साबित है इसलिए अपीलान्ट का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। अपील पेश करने की नीयत समय 30 दिन है उसके पश्चात प्रत्येक दिन का कारण बताना होता है जबकि अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह कहीं नहीं बताया है कि कब जानकारी हुई, कब नकल का आवेदन पेश किया, कब नकले प्राप्त हुई न ही प्रत्येक दिन का कारण बताया है इसलिए अपील मयाद बाहर होने से भी खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 तहसीलदार जी नागौर द्वारा पारित किये जाने के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर मे उपरोक्त वाद व स्थगन का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा है तथा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है एवं वाद की नीयत पेशी दिनांक 12.10.2022 है तथा एक ही आदेश के विरूद्ध दो अलग अलग न्यायालयो में वाद अपील कानूनी रूप चलने का प्रावधान नहीं होने से भी प्रार्थना पत्र/अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होने से एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–एक द्वारा प्रस्तुत जबाब के आधार पर अपील कानून सम्मत नहीं होने से मय खर्चा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र मय अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। रिकार्ड का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में मयाद के संबंध में प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मेरिट पर सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना उचित है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सगे भाई है जो स्व. धोंकलराम जी के उतराधिकारी है। खेत खसरा नं. 701/659 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा चेनासर अपीलांट की माता सोनीदेवी की कब्जासुद खातेदारी का था, जिसको सोनीदेवी ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दोनों भाईयो के हक में दिनांक 2.5.2016 को बख्शीश कर उसका बख्शीशनामा उप पंजियक कार्यालय नागौर में पंजिबद्ध करवा दिया व उसके आधार पर इस खेत की खातेदारी हम दोनों भाईयों के नाम दर्ज हो गयी। इसी प्रकार खेत खसरा नं, 721/659 रकबा 35 बीघा वाके मौजा चेनासर अपीलांट के पिता धोकलराम जी की खातेदारी में था व अपीलांट के पिता के फौत होने पर इस खेत की खातेदारी अपीलांट व अपीलांट की माता सोनी देवी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजाराम की सहखातेदारी में दर्ज हुई तत्पश्चात अपीलांट की माता ने उक्त खेत में से अपना हिस्सा हम दोनो भाई यानी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में दिनांक 2.5.2016 को तर्क कर दिया व उसका तर्कनामा उप पंजियक कार्यालय नागौर में पंजिबद्ध करवा दिया, जिससे उक्त तर्कनामा के आधार पर उक्त खेत खसरा नं, 721/659 भी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सहखातेदारी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। उक्त दोनों खेताय अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सहकब्जे काश्त सहखातेदारी के रहते चले आने की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भी भली भांति रही, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बाले बाले पटवार हल्का से मिलकर अपीलांट की जानकारी के बिना, बिना सहमति के उक्त दोनों खेताय का गैर कानूनी रूप से मिथ्या विभाजन की कार्यवाही तहसीलदार नागौर के समक्ष करके मौके की स्थिति के विपरीत विभाजन करवा लिया जिसके अनुसार मनमर्जी से खसरा नं. 701/659 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नं. 1248/721 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा में से रकबा 1.8 बीघा अपीलांट के नाम दर्ज करवा दिये व इस खसरा की शेष भूमि 1 बीघा 10 बिस्वा गे.मु. रास्ता के रूप में दर्ज करवा दी जिसके नये खसरा नं, 1283/1248 दर्ज हुऐ तथा खसरा नं. 721/659 रकबा 32 बीघा 2 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज करवा लिया, जिसकी जानकारी अपीलांट को

कलक्टर नागौर

पूर्व में नहीं होने दी, जबकि अपीलांट की ऐसी कोई सहमति नहीं थी न है न ही अपीलांट ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर ऐसे किसी बंटवाड़ा का आवेदन किया न ही मौके पर उक्तानुसार कब्जा है बल्कि सभी खेतो पर दोनो भाईयो का 1/2–1/2 हिस्सा अनुसार कब्जा रहता चला आया है इसके बावजूद कीमती व उपजाउ खसरा नं 721/659 पुरा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गैर कानूनी ढंग से अपने नाम दर्ज करवा लिया है जिसकी जानकारी हाल ही में दिनांक 28.7.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट को धमकी दी कि उक्त खसरा नं. 721/659 को बेचान करूंगा तब अपीलांट ने निवेदन किया कि उक्त खेत तो हमारी सहखातेदारी का है अभी तक कोर्ट से विधिवत बंटवाड़ा भी नहीं हुआ है आप बेचान कैसे कर सकते हो तो रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने कहा कि बंटवाड़ा तो मैने पहले ही सन 2017 में करवा लिया है व पूरा खेत खसरा नं. 721/659 मेरे नाम दर्ज है इसे बेचने से कोई नहीं रोक सकता है जिस पर अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की नकले व कथित बंटवाड़ा आदेश की प्रमाणित प्रतियो का आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 22.9.2021 को प्रमाणित प्रतियां मिलने पर सर्वप्रथम इसकी पूरी जानकारी होने से उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

आदेश जैर अपील कतई गलत, छल कपट धोखाधड़ी से व मौके की स्थिति के विपरीत पारित करवाया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अत्यंत चालाक व चतुर व्यक्ति है जिसने अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर करके कूटरचित दस्तावेज तैयार किये है या अपीलांट को धोखे में रख कर छल कपट से पूर्व में सन 2016 में हुऐ हक तर्कनामा व बख्शीशनामा के समय अपीलांट से खाली कागजो पर कोई हस्ताक्षर करवा लिये है तो उनका दुरूपयोग करके कथित बंटवाड़ा तहसील से करवाया है जबकि मौके पर उक्तानुसार न तो बंट हुआ न ही कब्जा काश्त रहा है सभी खसरान संयुक्त खातेदारी के व सहकब्जे काश्त के थे व है इसके बावजूद कथित मिथ्या बंटवाड़ा आदेश की आड़ में अब रेस्पोडेन्ट जबरन अपीलांट को बेदखल करने व गलत दर्ज खातेदारी की आड़ में भूमि को हस्तान्तरण करने पर आमादा है इस कारण आदेश जैर अपील हस्तक्षेप योग्य है। तहसीलदार के समक्ष कथित बंटवाड़ा हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेज, सहमति बंटवाड़ा स्टाम्प पर न तो अपीलांट ने कभी हस्ताक्षर किये न ही अपीलांट नागौर में उपस्थित होकर कोई स्टाम्प खरीदा न लिखापढी करवाई जबकि दिनांक 2.2.2017 को जब स्टाम्प खरीदे गये थे उस समय अपीलांट नागौर से बाहर खाने कमाने के लिए गया हुआ था। इसके बावजूद अपीलांट की पीठ पिछे फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके बाले बाले कथित आदेश पारित करवाया गया होने से निरस्तनीय है। सहमति बंटवाड़ा में अपीलांट कभी भी पटवारी, आर.आई, तहसीलदार आदि के समक्ष कभी उपस्थित नहीं हुआ न सहमति दी न ऐसा किया जाना संभव था न है क्योकि पुश्तेनी भूमि में प्रत्येक खसरा में प्रत्येक खातेदार का बराबर हक हिस्सा होता है किसी एक खातेदार को उपजाउ भूमि अपने अकेले के बंट में रखवाने व ऐसा बंटवाडा करवाने का कोई अधिकार नही है न ऐसा प्रावधान है इस कारण ऐसा बंटवाड़ा अपीलांट को कभी भी स्वीकार नहीं था न है इस कारण आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

धारा 53 राज0 टि0 एक्ट के तहत केवल सहमति के आधार पर तहसीलदार को बंटवाड़ा करने का अधिकार है जबकि अपीलांट ने उपस्थित होकर या अन्य किसी तरह से कोई सहमति ऐसे बंटवाड़ा बाबत नहीं दी है इस कारण बिना सहमति के किया व करवाया गया बंटवाड़ा आदेश विधि सम्मत नहीं होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील विधि विरूद्व व छल कपट धोखाधड़ी से पारित करवाया होने से निरस्त करने का निवेदन किया है।

वकील श्री बाबुलाल भादू ने बहस में कथन किया कि बन्टवाडा से पूर्व ही मौके पर बन्ट कर दोनो भाईयो के अलग अलग 1/2 हिस्से के हिसाब से कब्जा रहता चला आया है तथा दोनो भाईयो ने सहमति से बन्टवाडा करवाया है। अपीलान्ट पढा लिखा ग्रेज्यूएशन सुदा व्यक्ति है जिसकी पहचान हल्का पटवारी ने रूबरू तहसीलदार की है जिसमें अपीलान्ट की फोटो व आधार कार्ड लगा हुआ है जिसका भी फोटो आधार कार्ड व चुनाव परिचय पत्र इत्यादि लगा हुआ है जिसका वेरीफाई हल्का पटवारी व तहसीलदार जी से किया हुआ है इसलिए अपीलान्ट स्वंय ने उपस्थित होकर के अपने हस्ताक्षर कर फोटो लगाकर एवं उनकी पहचान हल्का पटवारी द्वारा की गई जिसका वेरीफाई तहसीलदार जी द्वारा करवाकर बन्टवाडा किया गया है। अपीलान्ट केवल मात्र रेस्पोडेन्ट राजाराम द्वारा अपने हक की जमीन व बन्टवाडा होने के पश्चात बेचान दिनांक 9.9.2021 को कर देने से उसे नाराज होकर के गलत तथ्य दर्ज करते हुए यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर में मुनीराम बनाम राजाराम वाद अधीन धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 88/2021 दिनांक 20.09.2021 को प्रस्तुत किया है, जो हस्तगत

कलक्टर नागौर

A5/4

प्रकरण में विवादित भूमि का ही, बंटवाड़ा करने एवं खातेदारी की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया हुआ है, जो विचाराधीन है। न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर मे उपरोक्त वाद व स्थगन का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा है तथा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा एक ही आदेश के विरूद्ध दो अलग अलग न्यायालयो में वाद अपील कानूनी रूप चलने का प्रावधान नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट राजाराम द्वारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम चेनासर के खसरा नम्बर 721/659 व 701/659 आपसी समझोते के आधार पर बंटवाड़ा का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट राजाराम के हस्ताक्षर जिसकी पहचान पटवारी द्वारा की गई है। उक्त बंटवाड़ा के सम्बन्ध में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट राजाराम द्वारा स्टाम्प पर आपसी सहमति बंटवाड़ा किया गया है, जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट राजाराम के फोटो लगे हुए है एवं उक्त स्टाम्प पर इन दोनों के हस्ताक्षर अंकित है, उक्त स्टाम्प नोटेरी नागौर द्वारा अटेस्टेड किया हुआ है। उक्त बंटवाडा के संबंध में नक्शा ट्रेस किश्वार भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट राजाराम द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है, जिस पर इनके हस्ताक्षर है। अपीलान्ट ने उक्त बंटवाड़ा पर स्वंय के हस्ताक्षर आदि नहीं होने के संबंध में जो कथन किये है, उन कथनों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य एवं प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, इसलिए अपीलान्ट द्वारा किया गया उक्त कथन पूर्णतया मिथ्या कथन है। जबकि तहसीलदार नागौर द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश जैर अपील अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट राजाराम की पूर्ण सहमति के आधार पर विधिवत कार्यवाही करते हुए पारित किया गया है, का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम चेनासर के खसरा नम्बर 721/659 रकबा 35 बीघा व खसरा नम्बर 701/659 रकबा 30.12 बीघा का आपसी समझोते से मौके पर कब्जे के आधार पर बंटवाड़ा का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 राजाराम के हस्ताक्षर जिसकी पहचान पटवारी सथेरण द्वारा की गई है। उक्त बंटवाड़ा के सम्बन्ध में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 राजाराम द्वारा 100/–रूपये के स्टाम्प पर आपसी सहमति बंटवाड़ा किया गया है, जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 राजाराम के फोटो लगे हुए है एवं उक्त स्टाम्प पर इन दोनों के हस्ताक्षर अंकित है, उक्त स्टाम्प दिनांक 02.02.2017 को नोटेरी नागौर द्वारा अटेस्टेड किया हुआ है। उक्त बंटवाडा के संबंध में नक्शा ट्रेस किश्वार भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 राजाराम द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है, जिस पर इनके हस्ताक्षर है। अपीलान्ट ने उक्त बंटवाड़ा पर स्वंय के हस्ताक्षर आदि नहीं होने आदि के संबंध में जो कथन किये है। अपीलान्ट द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य एवं प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, इसलिए अपीलान्ट द्वारा किये गये उक्त कथन विश्वसनीय नहीं है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश जैर अपील अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 राजाराम की पूर्ण सहमति के आधार पर विधिवत कार्यवाही करते हुए पारित किया गया है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर में मुनीराम बनाम राजाराम वाद अधीन धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 88/2021 दिनांक 20.09.2021 को प्रस्तुत किया है, जो हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि का ही, बंटवाड़ा करने एवं खातेदारी की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया हुआ है, जो विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में जब बंटवाड़ा खातेदारी घोषणा के संबंध में अपीलान्ट द्वारा पृथक से नियमित वाद विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में भी हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा बंटवाड़ा आदेश जैर अपील दिनांक 11.02.2017 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटते हुए निर्णय की पति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर